# न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर।
# पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आर.ए.एस.

**पंचायत निगरानीः 08/2010**

**प्रार्थी –**

1. दुदाराम पुत्र किस्तुरराम, जाति जाट, निवासी जाजीवाल भंडारिया हाल निवासी प्लॉट संख्या 344, लक्ष्मीनगर, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर।

## बनाम

**अप्रार्थी –**

1. गोकलराम के कायम मुकाम
   1/1 जमना पत्नी गोकलराम
   1/2 बाबुलाल पुत्र गोकलराम
   1/3 हीराराम पुत्र गोकलराम
   1/4 खीवराज पुत्र गोकलराम
   1/5 मदन पुत्र गोकलराम
   1/6 श्रीमती छोटा पुत्री गोकलराम
   1/7 श्रीमती कमला पुत्री गोकलराम
   जाति राव, निवासी जाजीवाल भण्डारियां
2. गोरधन पुत्र गोकलराम के कायम मुकाम
   2/1 सुमेर पुत्र गोरधनराम
   2/2 पूर्णय पुत्र गोरधनराम
   2/3 केमल पुत्री गोरधनराम
   2/4 श्रीमती गुड़िया देवी पत्नी गोरधनराम
   जाति राव, निवासी जाजीवाल भण्डारियां, अप्रार्थी संख्या 2/2 एवं 2/3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती गुड़िया देवी पत्नी गोरधनराम, जाति राव, निवासी जाजीवाल भण्डारिया, तहसील जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत जाजीवाल कलां, तहसील जोधपुर।

**पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994**

**उपस्थिति : –**

1. प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश प्रजापत उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं0 1/1 ता 1/5 तक की ओर से अभिभाषक श्री अक्षय दवे उपस्थित।

–:: **आ दे श** ::– **दिनांकः 06.12. 2016**

प्रार्थी अभिभाषक यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा सं0 15 द्वारा ग्राम पंचायत जाजीवाल कलां जो मिसल संख्या 30/64–65 को जारी किया गया है के पेश की है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जाजीवाल भण्डारिया की सरहद में चक नम्बर 3 में भूमि खसरा नं. 11 रकबा 4.09 बीघा, खसरा नम्बर 12 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नं. 14 रकबा 2.07 बीघा आई हुई है। यह भूमि पहले प्रार्थी के पिता किस्तुराराम की खातेदारी में थी उनके देहान्त के बाद प्रार्थी व उसके भाई के कब्जे काश्त में है यह खातेदारी भूमि गांव की आबादी के पास आई हुई है तथा प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में से

खसरा नम्बर 15 एवं 13 रास्ते से होकर अपने मकान में आता जाता है प्रार्थी व उसका भाई गांव में नही रहते है वह जोधपुर शहर में रहते है। और अप्रार्थी ने फर्जी पटटा बना लिया इससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की है।

प्रार्थी अभिभाषक ने यह निगरानी सर्वप्रथम न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर में पेश की गयी। श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर के आदेश सं0 1609 दिनांक 12.03.2010 को इस न्यायालय में सुनवाई हेतु मुतकिल की गई। पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रकरण में नियमित सुनवाई प्रारम्भ की गयी। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषक की बहस दिनांक 29.11.2016 को सुनी जाकर निर्णय हेतु दिनांक 06.12.2016 मुकर्रर की गयी।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री जगदीश प्रजापत ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि रास्ते की भूमि है आबादी भूमि नही है। और विवादित पट्टा की जानकारी सिविल न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया अप्रार्थी ने तब प्रार्थी को पट्टा जारी करने की जानकारी हुई। सिविल न्यायालय ने अप्रार्थी दावा खारिज करते हुए प्रार्थी की खातेदारी भूमि मानी है। इसके बाद जिला न्यायालय, जोधपुर में अपील भी पेश की वह भी खारिज हो गई। इसके बाद अप्रार्थी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा के लिये दावा पेश किया, जिसमें अप्रार्थी एवं उसके लड़को को प्रार्थी के खातेदारी भूमि में दखल नही करने के लिये पाबंद किया, जो विचाराधीन है।

प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया पट्टा संदिग्ध है, इस पट्टे से संबंधित कोई रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है और ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में जो पड़ौस बताये गये है वह मिलान नही खाते है पट्टा सं0 15 में लिखे पड़ौस ग्राम जाजीवाल भण्डारियां में कोई आबादी भूमि नही है, जो पड़ौस बताये गये वह प्रार्थी के खातेदारी भूमि के पड़ौस है। अप्रार्थी ने सिविल न्यायालय में फर्जी पट्टे के भूखण्ड का नाप 60 x 86 फीट बताया है और अपने बयान में 60 x 30 फीट बताया है। विवादित पट्टा नियम 266 राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के तहत दिया जाना बताया गया है। नियम 266 के तहत पट्टा उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका पुराना कब्जा हो एवं निलामी से अच्छी कीमत नही मिलती हो। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों में दी गई प्रक्रिया की पालना नही की है। अतः अप्रार्थी को जारी पट्टा खारिज करने का निवेदन किया। पंचायत निगरानी कभी भी कोई भी पेश कर सकता है।

अप्रार्थीगण अपनी मौखिक बहस के समर्थन में निम्नानुसार लिखित बहस प्रस्तुत की हैः—

> प्रार्थी ने यह निगरानी याचिका न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 4—7—1996 को वादग्रस्त भूमि को स्वयं की पटटा सुदा भूमि बताते हुए न्यायालय श्री सिविल न्यायाधीश क0ख0 जिला जोधपुर के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर कथन किया है कि सन् 1964 में अप्रार्थी गोकुलराम के हक में जरिये मिसल सं0 30 सन् 1964 के पट्टा सं0 15 ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से जारी करना बताया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे की प्रति प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तो ग्राम पंचायत द्वारा रिकोर्ड उपलब्ध नही होने का

प्रत्युत्तर प्रार्थी को दिया गया। जिससे प्रार्थी को विश्वास हो गया कि विवादित पट्टा फर्जी है। प्रार्थी के उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को निगरानीधीन पट्टे की सर्वप्रथम जानकारी वर्ष 1996 में दीवानी वाद प्रस्तुत करने पर हुई थी एवं प्रार्थी को यह भी जानकारी हो चुकी थी कि विवादित पट्टा वर्ष 1964 में जारी हो चुका है। किन्तु प्रार्थी द्वारा विधि के बाध्यकारी प्रावधानों की अनदेखी करते हुए यह निगरानी याचिका सन् 2005 में प्रस्तुत की गई है जो स्पष्ट रूप से विधि द्वारा बाधित है।

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित अनेक प्रकरणों से विधिक स्थिति स्थापित हो चुकी है कि जहां विधि में किसी आदेश को चुनोति देने हेतु निर्धारित समयावधि विहित नही है तो ऐसी स्थिति में युक्तिसंगत समय में याचिका प्रस्तुत होनी चाहिए न कि अत्यत विलम्ब से इस संबंध में न्याय दृष्टान्त 1999(3) आर0एल0डब्लयू 1390 ब्रजलाल बनाम स्टेट ऑफ राज0 महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां किसी आदेश के विरूद्ध अपील नहीं की गई हो एवं अत्यधिक विलम्ब के अन्तराल के पश्चात पुनरिक्षण याचिका पेश की गई हो– पुनरीक्षण हेतु परिसीमा अवधि निर्धारित नही – अभिनिर्धारित– जहां पर परिसीमा की अवधि निर्धारित नही हो तो उस मामले में युक्तिसंगत समय अवधि में याचिका प्रस्तुत होनी चाहिए– युक्तिसंगत समय की अवधि प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी–

हस्तगत निगरानी याचिका प्रार्थी द्वारा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है जबकि पंचायतीराज अधिनियम का अवलोकन किया जाये तो यह स्पष्ट है कि धारा 61 पंचायतराज अधिनियम के अनुसार पंचायत के आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान है धारा 61 पंचायतीराज अधिनियम निम्नानुसार हैः–

61. पंचायतों के आदेशों की अपीलेः– (1) इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या उप विधि के अधीन किये गये या जारी किये गये किसी पंचायत के किसी आदेश या निदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश या निदेश की अपील अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति को ऐसे आदेश या निदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर भीतर कर सकेगा, जिसमें से उसकी प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अध्यपेक्षित समय अपवर्जित होगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन की अपील की सुनवाई धारा 56 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन गठित पंचायत समिति की स्थाई समिति द्वारा की जायेगी।

(3) उप–धारा (2) में निर्दिष्ट स्थायी समिति व्यथित व्यक्ति, पंचायत और ऐसे आदेश या निदेश से, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, प्रभावित किसी भी अन्य व्यक्ति की सुनवाई के पश्चात ऐसे आदेश या निदेश को परिवर्तित, अपास्त या पुष्ट कर सकेगी और अपील फाईल करने वाले व्यक्ति को या उससे खर्चा भी दिलवा सकेगी।

(4) स्थाई समिति का विनिश्चय समस्त प्रयोजनों के लिए पंचायत समिति का विनिश्चय समझा जावेगा।

कि विधि अनुसार जहां किसी विधि के तहत अपील का प्रावधान है तो निगरानी याचिका पोषणीय नही रह जाती है ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जानबूझकर न्यायालय को मुगालते में रखते हुए विधि के सुस्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी कर विधि विरूद्ध रूप से यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है।

धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार को पुनरिक्षण एवं पुनःविलोकन की शक्तियां प्रदान की गई है। जिसके अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा अथवा हितबद्व व्यक्ति के आवेदन पर किन्ही कार्यवाहियों के संबंध में किसी पंचायती राज संस्था या उसके किसी स्थाई समिति या उपसमिति का अभिलेख उसमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के **सही होने उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में** स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी ओर उसकी परीक्षा कर सकेगी। उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार को निगरानीधीन पटटे की विधिकता औचित्य अथवा नियमितता को जांचने का ही अधिकार है। किन्तु प्रार्थी द्वारा अपने सम्पूर्ण निगरानी याचिका में ऐसा कोई तथ्य अथवा आधार उल्लेखित नहीं किया गया है प्रार्थी द्वारा उल्लेखित किये गये समस्त आधार तथ्यात्मक आधार है। जो मात्र अपील के तहत ही उठाये जा सकते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी याचिका निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी का यह कहना कि अप्रार्थी के हक में जारी पटटे का कोई रिकोर्ड नही है तथा पटटा फर्जी है सर्वथा गलत है क्योंकि वांछित समस्त रिकोर्ड न्यायालय हाजा को प्राप्त हो चुका है।

इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ग्राम पंचायत जाजीवाल कला द्वारा दिनांक 7–9–1999 को गोकुलराम के हक में प्रेषित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है वादग्रस्त भूखण्ड के बाबत अप्रार्थी के हक में पट्टा दिनांक 28–12–1964 को जारी किया गया है।

ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निगरानीधीन पट्टा समस्त प्रक्रिया का विधिवत रूप से जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधता कारित नहीं की गई है एवं ना ही हस्तगत पट्टा जारी करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता भी कोई ग्राम पंचायत द्वारा जारी की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से पट्टा जारी करने हेतु पत्रावली गठित की है एवं उस संबंध में नियमानुसार मौका निरीक्षण कर आपत्तिया भी आमत्रित की गईथी किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई संभावना नही है।

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी याचिका स्पष्ट रूप से म्याद बाधित है एवं प्रार्थी स्वयं न्यायालय के समक्ष केवल मात्र अप्रार्थी से रंजिश होने के कारण स्वच्छ हाथों से नही आया है। जिस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह याचिका निरस्त योग्य है। जिस संबंध में निम्नलिखित न्याय दृष्टान्त महत्वपूर्ण हैः–

1- 2010(4) C.C.C.551(S.C)

2- 2009(2)C.C.C. 371 (S.C.)

3- 2009(2)C.C.C.440 (S.C.)

4- RLW 2000 (2) Raj. 781

5- 1998(2)C.C.C.436

6- 1994 (1)WLN 87

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी याचिका निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा प्रसतुत बहस पर सम्मानपूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का भी अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि प्रार्थी अभिभाषक ने यह पंचायत निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख सं0 15 द्वारा ग्राम पंचायत जाजीवाल कलां जो मिसल संख्या 30/64–65 को जारी किया गया है, के विरूद्ध पेश की है। प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी निगरानी में यह कथन किया कि अप्रार्थी ने सरपंच ग्राम पंचायत जाजीवाल कलां से फर्जी तौर पर रास्ते की भूमि का पट्टा बनवा लिया है। और ग्राम पंचायत में पट्टा संबंधी कोई रेकर्ड नही है। यह तथ्य गलत है। अप्रार्थी को जारी पट्टे से संबंधित मूल पत्रावली न्यायालय को उपलब्ध करवाई गई।

न्यायालय ने ग्राम पंचायत जाजीवाल कलां द्वारा संधारित संख्या 30/64–65 का अवलोकन किया तो पाया गया कि अप्रार्थी गोकलराम के आवेदन करने पर पत्रावली संधारित की गयी। ग्राम पंचायत की नियमित बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। तीन पंचों की कमेटी गठित की गई। और मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई दिनांक 04.11.1964 को मौका निरीक्षण दल ने मौके का नक्शा भी बनाया गया। इसके बाद प्रपत्र 50 नियम 270 के तहत आबादी भूमि की प्रस्तावित बिक्री बाबत ऐतराज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस भी दिया गया। जो विधिवतचस्पा किया गया। निर्धारित अवधि में कोई ऐतराज भी नही आया। और ग्राम पंचायत ने नियम 266 राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के तहत अप्रार्थी गोकलराम पुत्र श्री हेमाराम को पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत अप्रार्थी को पट्टा जारी करने में कोई अनियमितता नही बरती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय निगरानीधीन पट्टा बहाल रखा जाता है।

(दुर्गेश कुमार बिस्सा)
**अपर जिला कलक्टर–प्रथम**
**जोधपुर।**

निर्णय आज दिनांकः 06.12.2016 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दुर्गेश कुमार बिस्सा)
**अपर जिला कलक्टर–प्रथम**
**जोधपुर।**